न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 30/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पताः– 102 कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एल.बी.एस. कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर, शाखा कार्यालय अजीतगढ़ सीकर (राज.)।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. आकाश कुमार मीणा पुत्र नरोत्तम लाल मीणा, (ऋणी)
पताः– प्लॉट नं. 50, जोगी मौहल्ला सुराणी, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान।
2. लक्ष्मी देवी मीणा पत्नी नरोत्तम लाल मीणा, (सहऋणी/बंधककर्ता)
पताः– प्लॉट नं. 50, जोगी मौहल्ला सुराणी, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान।
3. अशोक कुमार मीणा पुत्र नरोत्तम लाल मीणा, (सहऋणी)
पताः– प्लॉट नं. 50, जोगी मौहल्ला सुराणी, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान।
दूसरा पताः– 5वीं बटालियन, आर.ए.सी., जयपुर।
4. सुभाष चन्द मीणा पुत्र सुवा लाल मीणा, (जमानती)
पताः– ढ़ाणी रामसर, कांवट, जिला सीकर, राजस्थान।
5. गोपाल लाल मीणा पुत्र गणपत लाल मीणा, (जमानती)
पताः– इन्द्रा कॉलोनी, शर्मा हॉस्पिटल के पास, नीमकाथाना रोड़, अजीतगढ़ सीकर, राजस्थान–332701।

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः २१ जुलाई, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **महेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने

Web Copy - Not Official

जिला मजिस्ट्रेट (राज.)

ट, सीकर

भिभाषकता, स्वीकार (4)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण **आकाश कुमार मीणा, लक्ष्मी देवी मीणा, अशोक कुमार मीणा, सुभाष चन्द मीणा, गोपाल लाल मीणा** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **लक्ष्मी देवी मीणा पत्नी नरोत्तम लाल मीणा की सम्पति जो कि ग्राम सुराणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसकी माप 362.66 वर्गगज है। जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में शंकर लाल की भूमि, पश्चिम में स्वयं की भूमि व रास्ता, उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में अशोक कुमार का घर स्थित है,** को बंधक रखकर **15,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **पन्द्रह लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **06.04.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री जगदीश प्रसाद खर्रा ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रा. पत्र में अंकित किया है कि इस प्रकार के मनमाने आवेदनों की जांच करवाकर ऋणी अप्रार्थीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावे तथा जांच में अप्रार्थीगण के डिफाल्टर पाने के बाद ही आवश्यक कार्यवाही के लिए पुलिस इमदाद दी जावे।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **06.04.2019** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी को डाक वितरण (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **आकाश कुमार मीणा, लक्ष्मी देवी मीणा, अशोक कुमार मीणा, सुभाष चन्द मीणा, गोपाल लाल मीणा** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **लक्ष्मी देवी मीणा पत्नी नरोत्तम लाल मीणा की सम्पति जो कि ग्राम सुराणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसकी माप 362.66 वर्गगज है। जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में शंकर लाल की**

...स्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

भूमि, पश्चिम में स्वयं की भूमि व रास्ता, उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में अशोक कुमार का घर स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 29 **जुलाई, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिला मजिस्ट्रेट (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner